



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424]
No. 424]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2008/चैत्र 11, 1930
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2008/CHAITRA 11, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
संकल्प

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2008

का.आ. 784(अ).—जबकि पर्यावरण और वन मंत्रालय में भारत सरकार के संकल्प सं. सा.का.नि. 736(अ), दिनांक 26 अगस्त, 1992 (इसमें इसके पश्चात् संकल्प के रूप में उल्लिखित होगा), द्वारा केन्द्रीय सरकार ने प्रदूषण के उपशमन हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए, उद्योगों और प्रचालनों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की एक स्कीम को संस्थापित करने का निर्णय लिया है;

और, जबकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार ने उपरोक्त संकल्प को संशोधित करने का निर्णय लिया है :

उपरोक्त संकल्प में :—

(1) पैरा 3 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामशः—

“3. वर्ष 2007-08 से आगे, पुरस्कार ट्रॉफी और प्रशस्ति-पत्र के अतिरिक्त एक लाख रुपए के नकद पुरस्कार के रूप में होंगे जो कि पुरस्कार पाने वालों द्वारा स्थायी रूप से रखे जाएंगे।”

[फा. सं. ए-14011/4/2002-सी पी ए(पार्ट-III)]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मुख्य संकल्प, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 26 अगस्त, 1992 की सं. सा.का.नि. 736(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था।

1205 GI/2008

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
RESOLUTION

New Delhi, the 31st March, 2008

S.O. 784(E).—Whereas by the Resolution of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests Number G.S.R. 736(E), dated the 26th August, 1992 (hereinafter referred to as the said Resolution), the Central Government have decided to institute a scheme of National Awards to encourage industries and operations to take significant steps for prevention of Pollution;

And, whereas, the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, have decided to amend the said Resolution;

In the said Resolution,—

(1) for paragraph 3, the following shall be substituted, namely :—

“3. From the year 2007-2008 onwards, the awards will be in the form of a cash award of Rupees One lakh in addition to a trophy and a citation which will be retained permanently by the awardee.”

[F. No. A-14011/4/2002-CPA(Pt. III)]

R. K. VAISH, Jt. Secy.

Foot Note: The Principal Resolution was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II Section 3(i) vide Number G.S.R. 736(E), dated the 26th August, 1992.